

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य/2022

दिनांक 02/02/2026

सेवा में,

पुलिस उपाधीक्षक/स्टॉफ ऑफिसर

अपर पुलिस महानिदेशक,

वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0।

कृपया पत्र संख्या:41/छ:-पु-3/2020,दिनांक:04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) के परिपेक्ष्य में आप अपने पत्र संख्या सोशल मीडिया-(18/2020 का अवलोकन करें, जो पुलिस विभाग एवं उसकी अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 01.01.2026** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. थाना कासिमाबाद पुलिस टीम द्वारा मु0अ0स011/25 धारा 105 बीएनएस में वाँछित 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अपराध एवम् अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे दिनांक 01.02.2026 को उ0नि0 भाईलाल मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र मे मामुर थे कि मुखबीर खाँस कि सुचना पर ग्राम नन्दगांव छतवारा थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ से मु0अ0स0-11/25 धारा 105 बीएनएस मे वाँछित अभियुक्त 1. अरविन्द कुमार पुत्र रामकेर नि�0ग्राम बठना थाना बरेसर जनपद गाजीपुर उम्र करीब 42 वर्ष को गिरफ्तार किया गया गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1.अरविन्द कुमार पुत्र रामकेर नि�0ग्राम बठना थाना बरेसर जनपद गाजीपुर उम्र करीब 42 वर्ष

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास—

मु0अ0स0-11/25 धारा 105 बीएनएस थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर

02. थाना नोनहरा पुलिस टीम द्वारा मु0अ0स0 46/2026 धारा 303(2)/317(2) BNS से सम्बन्धित वाँछित 02 नफर अभियुक्तगण को एक अदद टाटा मैजिक पिकअप के साथ किया गया गिरफ्तार ।

अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम आज दिनांक 01.02.2026 को थानाध्यक्ष नोनहरा मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना के आधार पर पिकअप मैजिक को चेक किया गया तो उसका रजिस्ट्रेशन UP61AT0526 पाया गया तथा पिकअप के पीछे एक अदद अपाची मोटरसाईकिल UP61AK2670 रखी थी उक्त पिकअप मु0अ0स0 46/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित चोरी हुई पिकअप का होना पाया गया तथा मौके पर उक्त पिकअप को

चला रहे व्यक्तियों को पकड़ गया जिनसे कडाई से पूछने पर अपना नाम 1.राशिद खान पुत्र बरित्यार अहमद निवासी ग्राम लंका बड़ा बाग थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र करीब 28 वर्ष *2 .सोहराब पुत्र सरफुद्दीन* निवासी ग्राम चम्पिया बाग थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र 32 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. राशिद खान पुत्र बरित्यार अहमद निवासी ग्राम लंका बड़ा बाग थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र करीब 28 वर्ष।
2. सोहराब पुत्र सरफुद्दीन निवासी ग्राम चम्पिया बाग थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र 32 वर्ष।
बरामदगी – एक अदद टाटा मैजिक पिकअप रजिस्ट्रेशन नं0 UP61AT0526

आपराधिक इतिहास –

1. अभियुक्त-राशिद खान -

- 1.मु0अ0सं0264/2022 धारा 120B/147/302/34 भादवि थाना शिवपुर जनपद वाराणसी
- 2.मु0अ0सं0268/2022 धारा 307 भादवि थाना शिवपुर जनपद वाराणसी
- 3.मु0अ0सं0270/2022 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना शिवपुर जनपद वाराणसी

2. अभियुक्त- सोहराब -

- 1.मु0अ0सं0184/2018 धारा 379/411 भादवि थाना बांसडीह जनपद बलिया।
- 2.मु0अ0सं014/2022 धारा 307/34/352/353/382/414/419/420/427 भादवि व धारा 7 आपराधिक कानून थाना जुगैल जनपद सोनभद्रा।
- 3.मु0अ0सं016/2022 धारा 120B भादवि व 8/21 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम थाना जुगैल जनपद सोनभद्रा।
- 4.मु0अ0सं0207/2019 धारा 307/411/412/413/414/420/467/468/471 भादवि थाना मुगल सराय जनपद चंदौली।
- 5.मु0अ0सं0211/2019 धारा 25 आयुध अधिनियम थाना मुगल सराय जनपद चंदौली।

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर